18/1/25

बार - बार आवाज दिलवाये जाने के बावजूद भी न तो अपीलार्थी स्वयं न ही अभिभावक अपीलार्थी उप० आये। अतः पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। रेस्पो० अभिभावक उपर्युक्त पत्रावलि कैलाश कुमार की जानकर, नम्बर से कम की जावे, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर